भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 681
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवासन परियोजनाएं

681. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवासन के मुद्दे से निपटने के लिए कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का राज्यवार/क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा हरियाणा में आवासन की समस्या को दूर करने के लिए अपनी नीतियों में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का आवासन की समस्या से निपटने के लिए भूमि उपयोग हेतु कोई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) नागरिकों की आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित करते हैं और नीतियों को अपनाते हैं। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई -यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राज्य सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता कर रहा है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 112.50 लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरु हो गया है और अब तक 90.25 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं।

इस योजना को सीएलएसएस घटक को छोड़कर सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में कोई बदलाव किए बिना सभी स्वीकृत आवासों को पूरा किया जा सके। हरियाणा राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, कुल 1,15,034 आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 90,388 आवासों में निर्माण कार्य शुरु हो चुका है और 69,746 आवासों को पूरा करके पीएमएवाई-यू के तहत अब तक लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। योजना की शुरुआत से लेकर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत निर्मित आवासों और जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन के 9 वर्षों के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवास**न** और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को सुव्यवस्थित किया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास का निर्माण, खरीद और किराये पर लिया जा सके। इसके अलावा, 29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 6 लाख से अधिक आवासों का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे 'किफायती आवास नीति' तैयार करे और किफायती आवास खंड में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करे। भारत सरकार इसके लिए नीतियाँ तैयार करने में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

******

दिनांक 06-02-2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 681 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित आवासों और जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)		पूर्ण/सुपुर्द आवास (संख्या में)	
			शुरुआत से	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2021-25) के दौरान	शुरुआत से	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2021-25) के दौरान
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	23,800.26	13,718.35	10,30,079	6,40,892
2		बिहार	3,537.49	1,086.76	1,70,997	99,395
3		छत्तीसगढ	4,266.60	1,748.48	2,51,509	1,24,556
4		गोवा	75.04	16.54	3,145	641
5		गुजरात	19,805.76	8,763.09	9,37,731	4,27,348
6		हरियाणा	1,673.50	499.55	69,746	26,717
7		हिमाचल प्रदेश	211.66	85.73	11,045	5,758
8		झारखंड	3,115.57	855.76	1,54,278	57,973
9		कर्नाटक	7,276.76	2,401.21	3,86,370	1,57,959
10		केरल	2,377.12	929.67	1,31,218	40,841
11		मध्य प्रदेश	15,555.00	6,294.02	8,47,378	4,26,942
12		महाराष्ट्र	19,323.37	8,774.84	8,82,715	4,54,019
13		ओडिशा	2,574.90	1,017.68	1,58,388	67,809
14		पंजाब	1,949.02	908.28	95,561	55,937
15		राजस्थान	4,983.68	2,667.32	2,18,655	1,14,015
16		तमिलनाडु	10,338.05	3,400.69	5,97,450	2,12,740
17		तेलंगाना	3,806.96	1,062.58	2,23,329	38,983
18		उत्तर प्रदेश	27,118.30	11,710.00	16,75,092	9,01,689
19		उत्तराखंड	988.83	441.79	39,002	20,463
20		पश्चिम बंगाल	8,191.63	3,030.48	4,45,199	2,06,840
उप-योग (राज्य) : -			**1,60,969.52**	**69,412.82**	**83,28,887**	**40,81,517**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	161.18	42.74	8,066	5,887
22		असम	2,105.42	1,130.04	1,18,928	91,345
23		मणिपुर	496.91	159.91	16,719	12,068
24		मेघालय	48.23	40.05	1,835	1,426
25		मिजोरम	477.46	287.21	24,243	20,146
26		नागालैंड	418.37	145.58	26,546	23,645
27		सिक्किम	7.09	2.03	202	63
28		त्रिपुरा	1,292.99	263.47	76,855	24,182
उप-योग(उत्तर पूर्वी राज्य) : -			**5,007.64**	**2,071.03**	**2,73,394**	**1,78,762**

29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान निकोबार द्वीप	2.93	2.03	47	4
30		चंडीगढ़	28.78	6.67	1,256	269
31		दादरा नगर हवेली और दमन दीव	204.56	65.69	9,230	4,038
32		दिल्ली	692.53	113.37	29,976	4,476
33		जम्मू और कश्मीर	483.48	163.65	29,258	21,568
34		लद्दाख	25.23	7.55	876	465
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	223.19	72.21	10,765	5,695
उप-योग (यूटी) : -			**1,660.70**	**431.17**	**81,408**	**36,515**
योग : -			**1.68 लाख करोड़**	**71.92 लाख**	**90.25 लाख***	**42.97 लाख**

- इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के तहत पूर्ण किये गये (3.41 लाख) आवास इसमें शामिल हैं ।